भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1571
उत्तर देने की तारीख: 04.12.2024

मुस्लिम महिलाओं के प्रति हिंसा

1571. डॉ. डी. रवि कुमार:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास विगत पांच वर्षों के दौरान मुस्लिम महिलाओं के प्रति हिंसा के मामलों की संख्या का रिकार्ड है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान मुस्लिम महिलाओं के प्रति हिंसा के ऐसे कितने मामलों में आरोप-पत्र निर्धारित किए गए हैं और कितने मामलों में दोषसिद्धि हुई है;

(ग) क्या सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को हिंसा की ऐसी घटनाओं से बचाने के लिए कोई कठोर उपाय लागू किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा की गई पहलों और उनसे अब तक प्राप्त परिणामों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री किरेन रिजिजू)

(क) और (ख): ऐसा कोई डेटा केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है। इसके अलावा, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था', राज्य के विषय हैं। महिलाओं के खिलाफ जुर्म सहित अपराधों की रोकथाम, हिरासत, पंजीकरण, जांच और अभियोजन मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र (UT) प्रशासनों की चिंता के विषय हैं। राज्य सरकारें, कानूनों के मौजूदा प्रावधानों के तहत अपराधों से निपटने के लिए सक्षम हैं।

(ग) और (घ): महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए और अधिक कठोर दंडात्मक प्रावधान निर्धारित करने के लिए सरकार द्वारा आपराधिक कानून (संशोधन), अधिनियम 2013 और तत्पश्चात आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 को अधिनियमित किया गया। इसके अलावा, तीन नए आपराधिक कानूनों की शुरुआत के साथ, पहली बार, भारतीय दंड संहिता (IPC) में वर्णित महिलाओं के खिलाफ अपराध को पुनर्व्यवस्थित किया गया और भारतीय न्याय संहिता में एक अध्याय के तहत शामिल किया गया है।

*****